फर्द अहकाम

उरलीया बनाम राजस्थान

नाम न्यायालय ACEM(F.T-) शाहपुरा

केस संख्या 15/2018 राजा 53/88

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	आज्ञा या कार्यवाही
	28/5/18	आवश्यक पत्रावली राजस्व बोर्ड अपील कोष्ठ जयपुर से पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया मतदाता सूची बनी प्रारम्भिक है। तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिए जाते हैं कि मा-ब-न 295/1.75 व 296/2-58 हे. कुल रकबा 4.33 हे. को ग्राम पंचायत शाहपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर के राजस्व रिकार्ड से दर्ज खातेदार की उपस्थिति में राजस्व बोर्ड के आदेशों के अनुरूप बरबाद रिपोर्ट मय फुटकर तैयार कर पेश करें। तकमील जारी हो। वास्ते पत्रावली तलबी धारा-सं. 2,9 व प्रपत्र के बरबाद रिपोर्ट दिनांक 18/7/18 को पेश हो।	
		सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला--जयपुर (राज.)	
	21/6/18	आज मूल पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र पेश करने पर अग्रिम वा-पेशी से पूर्व से मैसर्स उरलीया से पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। अब प्रकरण को आगे की चलाना चाहते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र के आधार पर दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
		सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला--जयपुर (राज.)	

अरि- उरलीया